5-1-23 पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने के बावजूद वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अनुपस्थित रहे। वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को आगे चलाने के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 5-1-23 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्राविधि लेख भण्डार हो

उप जिला कलक्टर
मकराना

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.08.11 15:29:59 IST
Reason: SelfAttested